कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–गोण्डा।

पत्रांक: 2476 / जल-50 / 291 दिनांक: 6/01/2026

1. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद–गोण्डा।
2. उपायुक्त (एन0आर0एल0एम0), जनपद–गोण्डा।
3. बेसिक शिक्षाधिकारी, जनपद–गोण्डा।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद–गोण्डा।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद–गोण्डा।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–गोण्डा।

विषय: जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकसित किये गये मोबाइल ऐप "जल सारथी" का जनपद एवं ग्राम स्तर पर शत प्रतिशत डाउनलोड कराते हुये व्यापक प्रचार–प्रसार एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 31/2026/1532/छिहत्तर–1–2026 (सी0एन0 2027542) दिनांक 16.07.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण योजनाओं का प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance), पेयजल गुणवत्ता की सतत् निगरानी करने, पेयजल की महत्ता से जन सामान्य को परिचित कराते हुये उसका समुचित उपयोग, पेयजल की योजनाओं में सहभागिता को सुदृढ़ बनाने, योजनाओं से सम्बन्धित प्राप्त हो रही शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने, इस हेतु सूचना के पारदर्शी आदान प्रदान तथा ग्राम स्तर तक वास्तविक समय पर सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा "जल सारथी" मोबाइल ऐप_विकसित किया गया है। यह ऐप जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न डिजिटल सेवाओं, सूचनाओं एवं अनुश्रवण व्यवस्थाओं को एकीकृत करते हुये राज्य, जनपद/जिला प्रशासन, कार्यदायी संस्थाओं तथा ग्राम पंचायत स्तर के हितधारकों के मध्य एक प्रभावी डिजिटल सेतु के रूप में कार्य करता है। उक्त "जल सारथी" मोबाइल ऐप एनड्रायड एवं आई0ओ0एस0 दोनों प्रकार के ऑपरेशनल सिस्टम पर प्लेस्टोर/ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।

Play Store Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=
App Store Link: https://apps.apple.com/in/app/Jal-sarthi/id6760382141

"जल सारथी" मोबाइल ऐप में निम्नलिखित प्रमुख सुविधायें उपलब्ध है:–

1. "जल सारथी" मोबाइल ऐप पर जल जीवन मिशन योजनाओं की की राज्य, जनपद एवं ग्राम स्तर पर अद्यतन स्थिति एवं बहु–स्तरीय डैशबोर्ड का अवलोकन किया जा सकता है।
2. "जल सारथी" मोबाइल ऐप पर ग्रामवार पेयजल योजनाओं, कार्यदायी संस्था, जलापूर्ति की स्थिति, निर्माण प्रगति, संचालन एवं अनुरक्षण तथा भौतिक प्रगति सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध है।
3. ऐप पर जल गुणवत्ता परीक्षण से सम्बन्धित सूचना, पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट (एफ0टी0के0) की गतिविधियां, जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों एवं सम्बन्धित सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध है।
4. "जल सारथी" मोबाइल ऐप पर पाइप पेयजल योजनाओ की पाइप लाइन क्षति, अनियमित जलापूर्ति, तोड़ी गयी सड़कों का पुनर्स्थापना की सूचना उपलब्ध है।
5. "जल सारथी" मोबाइल ऐप के माध्यम से पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित आनलाइन शिकायते की जा सकती है, उनकी मॉनीटरिंग की जा सकती है तथा इस सम्बन्ध में सुझावों का ऑनलाइन पंजीकरण तथा उनकी कार्यवाही की स्थिति का अवलोकन/अनुश्रवण किया जा सकता है।
6. "जल सारथी" मोबाइल ऐप पर ग्राम पंचायत स्तर पर योजना की प्रगति, जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी0डब्ल्यू0एस0सी0), एफ0टी0के0 प्रशिक्षित महिलाओं, ग्राम प्रधान तथा अन्य सम्बन्धित सभी हितधारकों का विवरण उपलब्ध है।
7. प्रश्नगत ऐप के माध्यम से सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) तथा आई0एस0ए0 (आई0एस0ए0) गतिविधियों की प्रगति का अवलोकन किया जा सकता है, जिसके आधार पर जन जागरूकता प्रोत्साहन किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

8. विभागीय अधिकारियों के सम्पर्क विवरण, योजनाओं की प्रगति तथा अन्य आवश्यक सूचनायें/विवरण सहज रूप से उपलब्ध है।

इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर जल सारथी मोबाइल ऐप के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं प्रभावी उपयोग को विशेष अभियान के रूप में संचालित किया जाये। इस हेतु उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), जिला पंचायत राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के मध्य आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुये प्रत्येक ग्राम में निम्नलिखित हितधारकों के मोबाइल फोन पर जल सारथी मोबाइल ऐप डाउनलोड एवं इंन्सटाल कराया जाना सुनिश्चित करें।

1. ग्राम प्रधान।
2. ग्राम सचिव।
3. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी0डब्ल्यू0एस0सी0) के सदस्य।
4. एफ0टी0के0 (एफ0टी0के0) प्रशिक्षित महिलायें
5. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों।
6. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक।
7. लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य जन प्रतिनिधि।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार हितधारकों/जनप्रतिनिधियों के मोबाइल फोन पर जल सारथी मोबाइल ऐप डाउनलोड/इन्सटाल कराते हुये उपरोक्तानुसार नियमित प्रगति रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के साथ–साथ अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
जनपद–गोण्डा।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (गो.क्षे.), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
7. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गोण्डा।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे समस्त जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करें तथा जनपद स्तर पर डी0डब्ल्यू0एस0एम0 की बैठक में समीक्षा हेतु प्रस्तुत करें।
9. मेसर्स सेन्सियस टेक लिमिटेड, (टी0पी0आई0)/डी0पी0एम0यू0 गोण्डा को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
जनपद–गोण्डा।

Scanned with OKEN Scanner